



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH. THURSDAY, FEBRUARY 27, 2014  
(PHALGUNA. 8. 1935 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 27th February, 2014

**No. 15—HLA of 2014/15.**—The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

**Bill No. 15—HLA of 2014**

**THE HARYANA MUNICIPAL STREET VENDORS  
(PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF  
STREET VENDING) BILL, 2014**

**A**

**BILL**

*to protect urban street vendors to earn livelihood, to regulate street vending activities and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

Short title and extent.

(2) It shall extend to all the municipalities in the State of Haryana.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-
- (a) "competent authority" means Commissioner in case of Municipal Corporation and Deputy Commissioner in case of Municipal Council/ Committee, as the case may be;
  - (b) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
  - (c) "municipality" means a municipality as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973);
  - (d) "natural market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services determined as such by the municipality on the recommendations of town vending committee;
  - (e) "no vending zone" means an area which is not a vending zone;
  - (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
  - (g) "Schedule" means the Schedule annexed to this Act;
  - (h) "State Nodal Officer" means the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana;
  - (i) "stationary vendors" mean street vendors who carry out vending activities on a regular basis at a specific location;
  - (j) "street vendor" means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;
  - (k) "town vending committee" means a committee constituted under section 3;
  - (l) "vending zone" means an area or a place or a location designated as such by the municipality on the recommendations of the town vending committee, for the specific use by street vendors for street vending and includes footpath, side walk, pavement, embankment, portions of a street or any such place considered suitable for vending activities and providing services to the general public.

3. (1) The competent authority shall constitute a town vending committee in each municipality and may constitute more than one town vending committees for each ward, in each municipality. Town vending Committee.

(2) The town vending committee shall consist of the following, namely :—

- (a) Municipal Commissioner in case of Municipal Corporation or Deputy Commissioner in case of Municipal Council/ Committee, as the case may be, who shall be the Chairperson; and
- (b) such number of other members as may be prescribed, to be nominated by the Chairperson, representing the local authority, traffic police, local police, association of street vendors, market associations, traders associations, non-Governmental organizations, community based organization, resident welfare associations banks and such other interests, as it deems proper;
- (c) ten percent members to be nominated to represent the non-governmental organizations and the community based organizations;
- (d) forty percent members representing the street vendors operating in that particular area :

Provided that one-third of the members shall be from amongst the women vendors:

Provided further that due representation shall be given to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities from amongst the members representing the street vendor.

4. (1) The town vending committee shall within such a period and in such a manner, as may be specified by the Government, conduct a survey of all existing street vendors, within the area under its jurisdiction and subsequent survey shall be carried out at least once in every five years. Survey and registration of street vendors.

(2) The town vending committee shall ensure that all existing street vendors, identified in the survey are accommodated in the vending zones in accordance with the plan for street vending and the holding capacity in the vending zones.

(3) The town vending committee shall ensure timely registration of the new street vendors and allotment of space to them for vending in accordance with the plan for street vending and holding capacity of vending zones.

5. (1) Every street vendor, identified under the survey carried out under sub-section (1) of section 4, who has completed the age of eighteen years, shall be issued a certificate of vending by the town vending committee subject to such Issuance of certificate of vending.

terms and conditions and within such period, as may be prescribed, including restrictions prescribed for street vending.

(2) Where during the intervening period between two surveys, any person seeks to vend, the town vending committee may grant a certificate of vending to such a person, subject to the plan for street vending and the holding capacity of the vending zones.

(3) Where the number of street vendors identified under sub-section (1) or the number of persons seeking to vend under sub-section (2) are more than the holding capacity of the vending zone and exceeds the number of persons to be accommodated in that vending zone, the town vending committee shall carry out a draw of lots for issuing the certificate of vending for that vending zone and the remaining persons shall be accommodated in any adjoining vending zone to avoid relocation.

Conditions for issuance of certificate of vending.

6. (1) Every street vendor shall give an undertaking to the town vending committee prior to the issue of a certificate of vending under section 5 in such form and manner, as may be prescribed.

(2) Where a street vendor to whom a certificate of vending is issued, dies or suffers from any permanent disability or illness, one of his family members in the following order of priority, may vend in his place, till the validity of the certificate of vending—

- (a) spouse of the street vendor;
- (b) dependent child of the street vendor;

Provided that where a dispute arises as to who is entitled to vend in the place of the vendor, the matter shall be decided by the State Nodal Officer.

Categories of certificate of vending and issuance of Identity card.

7. (1) The certificate of vending shall be issued to the followings, namely :—

- (a) a stationary vendor; or
- (b) a street vendor; or
- (c) a mobile vendor; or
- (d) any other category, as may be prescribed.

(2) The certificate of vending issued for the categories specified in sub-section (1) shall be in such form and issued in such manner, as may be prescribed. It shall specify the vending zone where such vendor shall carry on his vending activities, the days and timings and the conditions and restrictions subject to which he shall carry on such vending activities.

(3) Every vendor who has been issued certificate of vending shall be issued identity card in such form and manner, as may be prescribed.

Criteria for issuing certificate of vending.

8. The criteria to be followed by the town vending committee for issuing certificate of vending to a street vendor shall be such, as may be prescribed which may, apart from other things, provide for preference to the Scheduled Castes, the

Scheduled Tribes. Other Backward Classes, women, persons with disabilities, minorities or such other categories.

9. Every street vendor who has been issued certificate of vending shall pay such vending fee, as may be prescribed. Vending fee.

10. Every certificate of vending shall be valid for such period and shall be renewable for such period, in such manner and on payment of such fee, as may be prescribed. Validity and renewal of certificate of vending.

11. Where a street vendor who has been issued a certificate of vending under this Act, commits breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions prescribed or where the town vending committee is satisfied that such certificate of vending has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud, the town vending committee may, notwithstanding any other penalty which may be imposed upon the street vendor under this Act, cancel the certificate of vending or suspend the same in such manner, as may be prescribed : Cancellation or suspension of certificate of vending.

Provided that no such cancellation or suspension shall be made by the town vending committee unless an opportunity of hearing has been given to the street vendor.

12. (1) Any person who is aggrieved by any decision of the town vending committee with respect to issue of certificate of vending under section 5 or cancellation or suspension of certificate of vending under section 11 may prefer an appeal to the Divisional Commissioner in such form, within such period, and in such manner, as may be prescribed. Appeal.

(2) No appeal shall be disposed of by the Divisional Commissioner unless the appellants has been given an opportunity of hearing.

13. (1) Every street vendor shall have right to carry on the business of street vending activities in accordance with the terms and conditions mentioned in the certificate of vending. Right of street vendor.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any area or space, as the case may be, has been earmarked as no-vending zone, no street vendor shall carry out any vending activity in that zone.

14. Every street vendor who possesses a certificate of vending shall in case of his relocation under section 16, be entitled, as far as possible, for new site or area, as the case may be, for carrying out his vending activities as may be determined by the municipality in consultation with the town vending committee. Right of street vendor for a new site or area on relocation.

15. (1) Where a street vendor occupies space on a time sharing basis, he shall remove his goods and wares every day at the end of the time-sharing period allowed to him. Duty of street vendors.

(2) Every street vendor shall,—

- (i) maintain cleanliness and public hygiene in the vending zones and the adjoining areas;

- (ii) maintain civic amenities and public property in the vending zone in good condition and not damage or destroy or cause any damage or destruction to the same: and
- (iii) pay such periodic maintenance charges for the civic amenities and facilities provided in the vending zones, as may be determined by the municipality.

Relocation or  
eviction of street  
vendors and  
confiscation of  
goods.

16. (1) The municipality may, on recommendation of the town vending committee, declare a zone or part of it to be a no vending zone for any public purpose and as far as possible relocate the street vendors vending in that area, in such manner, as may be prescribed.

(2) The municipality shall evict such street vendor whose certificate of vending has been cancelled under section 11 or who does not have a certificate of vending and vends without such certificate, in such a manner, as may be prescribed.

(3) No street vendor shall be relocated or evicted by the municipality from the place specified in the certificate of vending unless he has been given seven days notice for the same, in such manner, as may be prescribed.

(4) A street vendor shall be relocated or evicted by the municipality physically in such manner, as may be prescribed only after he had failed to vacate the place specified in the certificate of vending, after the expiry of the period specified in the notice.

(5) Every street vendor who fails to relocate or vacate the place specified in certificate of vending, after the expiry of the period specified in the notice, shall be liable to pay, for every day of such default, a penalty which may extend up to two hundred and fifty rupees but shall not be more than the value of the goods seized.

(6) Every street vendor shall vacate the premises immediately in case of any emergency on the notice of the District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate for the period as specified in the notice.

Seizure and  
reclaiming of goods.

17. (1) If the street vendor fails to vacate the place specified in the certificate of vending, after the lapse of period specified in the notice given under sub-section (3) of section 16, the municipality, in addition to evicting the street vendor under section 16, may, if it deems necessary, seize the goods of such a street vendor in such manner, as may be prescribed:

Provided that where any such seizure is carried out, a list of goods seized shall be prepared as may be prescribed and a copy thereof, duly signed by the person authorized to seize the goods, shall be issued to the street vendor.

(2) The street vendor whose goods have been confiscated under sub-section (1) may, reclaim his goods in such manner and after paying such fee, as may be prescribed :

Provided that in case of non-perishable goods, the municipality shall release the goods within two working days of the claim being made by the street vendor and in case of perishable goods the municipality shall release the goods on the same day of the claim being made by the street vendor.

18. (1) Every municipality shall, in consultation with the town vending committee once in every five years prepare a plan to promote the vocation of street vendors covering matters contained in First Schedule.

Plan for street vending

(2) The street vending plans prepared by the municipality shall be submitted to the town vending committee for approval.

19. The town vending committee shall meet at least once in three months.

Meetings of town vending committee.

20. The town vending committee may associate with itself in such manner and for such purposes, as may be prescribed, any person whose assistance or advice it may desire, in carrying out any of the provisions of this Act.

Temporary association of persons with town vending committee for particular purposes.

21. The municipality shall provide the town vending committee with appropriate office space and such employees as required to carry out the provision of this Act.

Office space and other employees for town vending committee.

22. (1) Every town vending committee shall publish the street vendor's charter specifying therein the time within which the certificate of vending shall be issued to a street vendor and the time within which such certificate of vending shall be renewed and other activities to be performed within the time limit specified therein.

Publication of street vendor's charter and data-base.

(2) Every town vending committee shall maintain up-to-date records of registered street vendors and street vendors to whom certificate of vending has been issued containing name of such street vendor, stall allotted to him, nature of business carried out by him, category of street vending and such other particulars which may be relevant to the street vendors.

23. Notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force, no street vendor, who carries on the street vending activities in accordance with the terms and conditions of his certificate of vending shall be prevented from exercising such rights by any person or police or any other authority.

Prevention of harassment by police and other authorities

24. Any street vendor who,—

Penalty for contravention.

(a) indulges in vending activities without a certificate of vending;

(b) contravenes the terms of certificate of vending; or

(c) contravenes any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under this Act or any rules or schemes made thereunder, shall be liable to a penalty for each such contravention which may extend upto two thousand rupees or as may be determined by the municipality.

Provisions of this Act, not to be construed as conferring ownership, rights etc.	<p><b>25.</b> (1) Nothing contained in this Act shall be construed as conferring upon a street vendor any temporary, permanent or perpetual right of carrying out vending activities in the vending zones allotted to him or in respect of any place on which he carries on such vending activity.</p> <p>(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any stationery vendor, if a temporary leasehold or ownership right has been conferred on him by a lease deed or otherwise, in respect of a place at specific location where he carries on such vending activity.</p>
Returns	<p><b>26.</b> Every town vending committee shall furnish, from time to time, to the Government and the municipality such returns, as may be prescribed.</p>
Promotional measures.	<p><b>27.</b> The Government may, in consultation with the town vending committee, municipality and street vendor's associations or unions, undertake promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors</p>
Research, training and awareness.	<p><b>28.</b> The Government may, to the extent of availability of financial and other resources,—</p> <p>(a) organise capacity building programmes to enable the street vendors to exercise the rights contemplated under this Act;</p> <p>(b) undertake research, education and training programmes to advance knowledge and understanding of the role of the informal sector in the economy, in general and the street vendors, in particular and to raise awareness among the public through the town vending committee.</p>
Duties of competent authority.	<p><b>29.</b> The competent authority for the purposes of this Act shall perform the following duties, namely:—</p> <p>(i) monitor the execution of schemes in the municipality;</p> <p>(ii) monitor the record of revenue generation and expenses by the town vending committee;</p> <p>(iii) resolve any discrepancy which arises within the town vending committee;</p> <p>(iv) call a joint meeting within every six months with the town vending committee.</p>
Power to delegate.	<p><b>30.</b> The Government may, by general or special order in writing, delegate such of its powers and functions under this Act, as it may deem necessary, to the municipality or the town vending committee or any other officer, subject to such conditions, if any, as may be specified in that order.</p>
Power to amend Schedule.	<p><b>31.</b> On the recommendations made by the town vending committee, if the Government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may, by notification, amend the Schedules.</p>
Power to make rules.	<p><b>32.</b> (1) The Government shall have the power to make rules for carrying out the purposes of this Act.</p>



(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules/policy may provide for all or any of the following matters, namely:--

- (a) the number of other members of the town vending committee;
- (b) the form, period and manner of filing appeal with the Divisional Commissioner;
- (c) the term of, and the manner of constituting, the town vending committee;
- (d) the manner and the purpose for which a person may be associated;
- (e) the returns to be furnished;
- (f) the manner of publishing summary of scheme;
- (g) determination of monthly maintenance charges for the civic amenities and facilities in the vending zones;
- (h) determination of penalty;
- (i) any other matter which has to be or may be prescribed for carrying out the objective of this Act.

33. Subject to the provisions of this Act or any rule or scheme made thereunder, the municipality may make bye-laws to provide for all or any of the following matters, namely:—

Power to make bye-laws.

- (a) the regulation and manner of vending in vending zones;
- (b) the regulation of the collection of taxes and fee in the vending zones;
- (c) the regulation of traffic in the vending zones;
- (d) the regulation of the quality of products and services provided to the public in vending zones and maintenance of public health, hygiene and safety standards;
- (e) the regulation of civic services in the vending zones; and
- (f) the regulation of such other matters in the vending zones as may be necessary.

34. (1) For the purposes of this Act, the competent authority shall frame a scheme, within six months from the date of commencement of this Act, after due consultations with the town vending committee, specifying all or any of the matters provided in the Second Schedule.

Scheme for street vendors.

(2) A summary of the scheme under sub-section (1) shall be published by the municipality in at least two local Hindi newspapers in such manner, as may be prescribed.

Power to issue  
directions

**35.** The Government shall be competent to issue such directions in consonance with section 32 of this Act for the proper enforcement of the provisions till the rules are framed thereunder.

Power to remove  
difficulties.

**36.** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after expiry of three years from the commencement of this Act.

Repeal and savings

**37.** (1) The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 2 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

---

**THE FIRST SCHEDULE**

*( See section 18)*

**Plan for Street vending**

- (1) The Plan for street vending shall,—
  - (a) ensure that all existing street vendors identified in the survey are accommodated in the plan for street vending;
  - (b) ensure the right of commuters to move freely and use the roads without any impediment;
  - (c) ensure that the provision of space or area for street vending is reasonable and consistent with existing natural markets;
  - (d) take into account the civic facilities for appropriate use of identified spaces or areas as vending zones;
  - (e) promote convenient, efficient and cost effective distribution of goods and provision of services;
  - (f) such other matters as may be specified in the scheme to give effect to the plan for street vending.
- (2) The plan for street vending shall contain all of the following matters, namely:—
  - (a) determination of spatial planning norms for street vending;
  - (b) earmarking of space or area for vending zones;
  - (c) determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted vending zones and no-vending zones;
  - (d) making of spatial plans conducive and adequate for the prevalent number of street vendors in that city or town and also for the future growth, by adopting such norms as may be necessary;
  - (e) consequential changes needed in the existing master plan, development plan, zonal plan, layout plan and any other plan for accommodating street vendors in the designated vending zones.
- (3) Declaration of no-vending zone shall be carried out by the plan for street vending, subject to the following principles, namely:—
  - (a) any existing market, or a natural market as identified under the survey shall not be declared as a no-vending zone;
  - (b) declaration of no-vending zone shall be done in a manner which displaces the minimum percentage of street vendors;
  - (c) The area considered as overcrowded area by the Town Vending Committee may be declared as no-vending zone and the vendors in that area shall be relocated as far as possible to other locations;
  - (d) sanitary concerns may not be the basis for declaring any area as a no-vending zone unless such concerns can be solely attributed to street vendors and cannot be resolved through appropriate civic action by the local authority;

**THE SECOND SCHEDULE***(See section 34)*

Matters to be provided in the Scheme for Street Vendors framed by the municipality :--

- (a) the manner of conducting survey;
- (b) the period within which certificate of vending shall be issued to the street vendors identified under the survey;
- (c) the terms and conditions subject to which certificate of vending may be issued to a street vendor including to those persons who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys;
- (d) the form and the manner in which the certificate of vending may be issued to a street vendor;
- (e) the form and manner of issuing identity cards to street vendors;
- (f) the criteria for issuing certificate of vending to street vendors;
- (g) the vending fee to be paid on the basis of category of street vending which may be different for different cities;
- (h) the manner of collecting, through banks, counters of municipality and counters of Town Vending Committee, vending fee, maintenance charges and penalties for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services;
- (i) the period of validity of certificate of vending;
- (j) the period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fee for such renewal;
- (k) the manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled;
- (l) the categories of street vendors other than stationery vendors and mobile vendors;
- (m) the other categories of persons for preference for issue of certificate of vending;
- (n) the public purpose for which a street vendor may be relocated and the manner of relocating street vendor;
- (o) the manner of evicting a street vendor;
- (p) the manner of giving notice for eviction of a street vendor;
- (q) the manner of evicting a street vendor physically on failure to evict;
- (r) the manner of seizure of goods by the municipality, including preparation and issue of list of goods seized;
- (s) the manner of reclaiming seized goods by the street vendor and the fee for the same;
- (t) the form and the manner for carrying out social audit of the activities of Town Vending Committee;
- (u) the conditions under which private places may be designated as restriction free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;
- (v) the terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and hygiene;
- (w) the designation of State Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the State Level;

- (x) the manner of maintenance of proper records and other documents by the town vending committee, municipality, and State Nodal Officer in respect of street vendors;
- (y) the manner of carrying out vending activities on time-sharing basis;
- (z) the principles for determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;
- (za) the principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive census and survey;
- (zb) principles of relocation subject to the following :-
  - (i) relocation should be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question;
  - (ii) affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project;
  - (iii) livelihood opportunities created by new infrastructure development projects shall accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure;
  - (iv) loss of assets shall be avoided and in case of any loss, it shall be compensated;
  - (v) any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of this Act;
  - (vi) State machinery shall take comprehensive measures to check and control the practice of forced evictions;
  - (vii) natural markets where street vendors have conducted business for over fifty years shall be declared as heritage markets, and the street vendors in such markets shall not be relocated.
- (zc) any other matter which may be included in the scheme for carrying out the purposes of this Act.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Government of India prepared a National Policy on Urban Street Vendors in the year 2009. The Hon'ble Supreme Court, *vide* orders dated 9.9.2013, directed States to implement the Policy till the enactment of legislation by the Parliament or States.

The State Government decided that a new Act for street vending will be enacted to organize street vending in the State of Haryana and to protect the interests of street vendors. The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Ordinance (No.2 of 2014) was accordingly promulgated by H.E. the Governor of Haryana on 8th January, 2014.

The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2014, which would replace the Ordinance, is proposed to be enacted primarily to regulate street vending activities within municipal limits, to constitute town vending committees, to register and issue certificates of vending and I-cards to street vendors, to provide space for street vending on road sides and on vacant municipal lands in a planned and regulated manner, to protect vendors from unnecessary harassment by authorities and also to reduce traffic hazards, by regulating street vending.

SAVITRI JINDAL,  
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh :  
The 27th February, 2014.

SUMIT KUMAR,  
Secretary.

## **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Section 3 of the proposed Bill provides that the Competent Authority shall constitute Town Vending Committees, headed by the Municipal Commissioner concerned for Corporation areas and Deputy Commissioner concerned for Council/ Committee areas, in which at least forty percent of the members shall be vendors. The Town Vending Committee will conduct survey of existing street vendors and identify vending zones at such places considered suitable for vending activities. Every municipality shall, in consultation with the Town Vending Committee, prepare a plan to promote the vocation of street vendors. Section 5 of the proposed Bill provides that every street vendor, above the age of 18 and identified under the survey, shall be issued a certificate of vending and an identity card. Section 13 of the proposed Bill provides that every street vendor shall have right to carry on the business of street vending activities in accordance with the terms and conditions of the certificate of vending which shall protect them from harassment by authorities. Section 30 of the proposed Bill provides that the Government may delegate its powers and functions under this Bill, to the municipality or the Town Vending Committee or any other officer, subject to the conditions. Section 31 of the proposed Bill provides that Government on recommendations of the Town Vending Committee may amend the Schedules. Section 33 of the proposed Bill provides that the municipality may make bye-laws, subject to the provisions of the Bill or any rule or scheme made thereunder. This memorandum regarding delegated legislation is required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[ प्राधिकृत अनुवाद ]

2014 का विधेयक संख्या 15—एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण)  
विधेयक, 2014जीविका अर्जन के लिए नगर गली विक्रेताओं का संरक्षण,  
गली में विक्रय कार्यकलापों तथा उससे सम्बद्ध  
या उनसे आनुषंगिक मामलों को  
नियंत्रित करने के लिए  
विधेयकभारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप  
में यह अधिनियमित हो :-संक्षिप्त नाम तथा  
विस्तार।1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा  
गली विक्रय नियंत्रण) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार हरियाणा राज्य में सभी नगरपालिकाओं में होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, नगर निगम की दशा में आयुक्त तथा  
नगर परिषद्/समिति, जैसी भी स्थिति हो, की दशा में, उपायुक्त ;

(ख) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ग) "नगरपालिका" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973  
(1973 का 24) में यथा परिभाषित नगरपालिका ;(घ) "नैसर्गिक बाजार" से अभिप्राय है, बाजार जहां विक्रेता तथा क्रेता नगर  
विक्रय समिति की सिफारिशों पर नगरपालिका द्वारा ऐसे रूप में निर्धारित  
उत्पादों अथवा सेवाओं के विक्रय तथा क्रय के लिए पारंपरागत तौर पर  
एकत्रित होते हों ;

(ङ) "विक्रय जोन" से अभिप्राय है, क्षेत्र जो विक्रय जोन नहीं है ;

(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा  
विहित ;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;

(ज) "राज्य नोडल अधिकारी" से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय  
विभाग, हरियाणा ;



- (झ) "स्थायी विक्रेताओं" से अभिप्राय है, गली विक्रेता जो विशिष्ट स्थान पर नियमित आधारों पर विक्रय कार्यकलापों को कार्यान्वित करते हैं ,
- (ञ) "गली विक्रेता" से अभिप्राय है, अस्थाई निर्मित ढांचे से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए किसी गली, पथ, पटरी, फुटपाथ, फर्श, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में वस्तुएं, माल, सौदा, खाद्य वस्तुओं का विक्रय या प्रतिदिन उपयोग के पण्य की या जन साधारण को सेवाएं देने में लगा व्यक्ति है तथा इसमें फेरीवाला, पैकार तथा सभी अन्य समानार्थक पदनाम शामिल हैं जो स्थानीय या क्षेत्रीय विशिष्ट हो सकते हैं, तथा "गली विक्रय" शब्द का उनकी व्याकरणिक विभिन्नता तथा सजातीय अभिव्यक्तियों सहित तदानुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (ट) "नगर विक्रय समिति" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित समिति ;
- (ठ) "विक्रय जोन" से अभिप्राय है, गली विक्रय के लिए गली विक्रेताओं द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिए नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर नगरपालिका द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट क्षेत्र या स्थल या कोई स्थान तथा इसमें फुटपाथ, पटरी, फर्श, तटबन्ध, गली का भाग या विक्रय कार्यकलापों तथा जनसाधारण को सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपयुक्त समझा गया कोई ऐसा स्थान शामिल है।

3. (1) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक नगरपालिका में नगर विक्रय समिति गठित करेगा तथा प्रत्येक नगरपालिका में, प्रत्येक वार्ड के लिए एक से अधिक नगर विक्रय समितियां गठित कर सकता है। नगर विक्रय समिति।

(2) नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) नगर निगम की दशा में, नगर आयुक्त या नगर परिषद्/समिति, जैसी भी स्थिति हो, की दशा में उपायुक्त, जो अध्यक्ष होगा ; तथा
- (ख) स्थानीय प्राधिकारी, ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस, गली विक्रेताओं का संघ, बाजार संघ, व्यापारी संघ, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, आवास कल्याण संघ, बैंक तथा ऐसे अन्य लाभार्थी जो यह उचित समझे का प्रतिनिधित्व कर रहे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाने वाले अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या जो विहित की जाए;
- (ग) गैर सरकारी संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किये जाने वाले दस प्रतिशत सदस्य;
- (घ) उस विशेष क्षेत्र में संचालित गली विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे चालीस प्रतिशत सदस्य :

परन्तु एक तिहाई सदस्य महिला विक्रेताओं में से होंगे :

परन्तु यह ओर कि गली विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तता वाले व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

गली विक्रेताओं का सर्वेक्षण तथा रजिस्ट्रेशन।

4. (1) नगर विक्रय समिति अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के भीतर सभी विद्यमान गली विक्रेताओं का ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसी शर्तों में जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सर्वेक्षण करेगी तथा पश्चात्पूर्ती सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्षों में कम से कम एक बार करवाया जाएगा।

(2) नगर विक्रय समिति सुनिश्चित करेगी कि सर्वेक्षण में पहचान किये गये सभी विद्यमान गली विक्रेताओं को विक्रय जोन में हैसियत रखने वालों के लिए योजना के अनुसार विक्रय जोन में स्थान दिया गया है।

(3) नगर विक्रय समिति, गली विक्रय तथा विक्रय जोन में हैसियत रखने वालों के लिए योजना के अनुसार विक्रय के लिए नये गली विक्रेताओं का यथा समय रजिस्ट्रेशन तथा उनके स्थान के आबंटन को सुनिश्चित करेगी।

विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के अधीन पहचान किया गया प्रत्येक गली विक्रेता जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को गली विक्रय के लिए विहित प्रतिबन्धों सहित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों तथा ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए के अधीन रहते हुए, नगर विक्रय समिति द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(2) जहां दो सर्वेक्षणों के बीच मध्यवर्ती अवधि के दौरान कोई व्यक्ति विक्रय करने की मांग करता है, तो वहां नगर विक्रय समिति गली विक्रय तथा विक्रय जोन की हैसियत रखने वालों के लिए योजना के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकती है।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पहचान किये गये गली विक्रेताओं की संख्या या उपधारा (2) के अधीन विक्रय के लिए मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या विक्रय जोन की हैसियत रखने वालों से अधिक है तथा उस विक्रय जोन में स्थान दिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो वहां नगर विक्रय समिति उस विक्रय जोन के लिए विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु लाटरी डालेगी तथा शेष व्यक्तियों को पुनः अवस्थापन से बचाने के लिए किसी निकटवर्ती विक्रय जोन में स्थान दिया जाएगा।

विक्रय प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए शर्तें।

6. (1) प्रत्येक गली विक्रेता धारा 5 के अधीन ऐसे प्ररूप तथा रीति जो विहित की जाए, में विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व नगर विक्रय समिति को वचनबद्धता देगा।

(2) जहां किसी गली विक्रेता को जिसे विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, की मृत्यु हो जाती है या कोई स्थाई अशक्तता है या बीमारी से पीड़ित है, तो उसके परिवार का एक सदस्य प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में, उसके स्थान पर विक्रय प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता तक विक्रय कर सकता है:-

(क) गली विक्रेता का पति/पत्नी,

(ख) गली विक्रेता का आश्रित बालक :

परन्तु जहां कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि विक्रेता के स्थान पर विक्रय के लिए कौन हकदार है, तो मामला राज्य नोडल अधिकारी द्वारा निर्णित किया जायेगा।

7. (1) विक्रय प्रमाण-पत्र निम्नलिखित को जारी किया जायेगा, अर्थात् :-

विक्रय प्रमाण-पत्र के प्रवर्ग तथा पहचान पत्र जारी करना।

(क) स्थायी विक्रेता ; या

(ख) गली विक्रेता ; या

(ग) चलता-फिरता विक्रेता , या

(घ) कोई अन्य प्रवर्ग जो विहित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए जारी किया गया विक्रय प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में, तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जारी किया जायेगा। यह विक्रय जोन जहां गली विक्रेता अपने विक्रय कार्यकलाप करेगा, ऐसे विक्रय कार्यकलाप करने के लिए दिन तथा समय तथा शर्तों तथा प्रतिबन्ध जिनके अधीन वह ऐसे विक्रय कार्यकलाप करेगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) प्रत्येक विक्रेता जिसे विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, को पहचान पत्र प्ररूप तथा रीति जो विहित की जाए में जारी किया जाएगा।

8. किसी गली विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए नगर विक्रय समिति द्वारा अपनाया जाने वाला मानदण्ड ऐसा होगा जो विहित किया जाये जो अन्य बातों से भिन्न, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अशक्तता वाले व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों या ऐसे अन्य प्रवर्गों को अधिमान देने के लिए हों।

विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मानदण्ड।

9. प्रत्येक गली विक्रेता जिसे विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, ऐसी विक्रय फीस का भुगतान करेगा जो विहित की जाये।

विक्रय फीस।

10. विक्रय का प्रत्येक प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिए विधिमाम्य किया जाएगा तथा ऐसी अवधि के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के भुगतान पर जो विहित की जाये, नवीनकरण किया जाएगा।

विक्रय प्रमाण-पत्र की वैधता तथा नवीनकरण।

11. जहां कोई गली विक्रेता जिसे इस अधिनियम के अधीन विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, इस अधिनियम के अधीन उसकी किन्हीं शर्तों या किन्हीं अन्य निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करता है, या जहां नगर विक्रय समिति सन्तुष्ट है कि ऐसा विक्रय प्रमाण-पत्र गली विक्रेता द्वारा मिथ्या निरूपण या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है, तो नगर विक्रय समिति कोई अन्य शास्ति जो इस अधिनियम के अधीन गली विक्रेता पर अधिरोपित की जा सकती है, के होते हुए भी, विक्रय प्रमाण-पत्र ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रद्द या उसका निलम्बन कर सकती है :

विक्रय प्रमाण-पत्र का रद्दकरण या निलम्बन।

परन्तु ऐसा कोई भी रद्दकरण या निलम्बन नगर विक्रय समिति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक गली विक्रेता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

अपील।

12. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 5 के अधीन विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने या धारा 11 के अधीन विक्रय प्रमाण-पत्र के रद्दकरण या निलम्बन के सम्बन्ध में नगर विक्रय समिति के किसी निर्णय से व्यथित है, तो वह ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाये, मण्डल आयुक्त को अपील कर सकता है।

(2) किसी भी अपील का मण्डल आयुक्त द्वारा तब तक निपटान नहीं किया जायेगा जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

गली विक्रेता का अधिकार।

13. (1) प्रत्येक गली विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र में वर्णित निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार गली विक्रय कार्यकलापों का कारबार करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी क्षेत्र या स्थान, जैसी भी स्थिति हो, को अविक्रय जोन के रूप में निश्चित किया गया है, तो कोई भी गली विक्रेता उस जोन में कोई विक्रय कार्यकलाप नहीं करेगा।

पुनः अवस्थापन पर नये स्थान या क्षेत्र के लिए गली विक्रेता का अधिकार।

14. प्रत्येक गली विक्रेता, जिसके पास विक्रय प्रमाण-पत्र है, धारा 16 के अधीन उसके पुनः अवस्थापन की दशा में, उसके विक्रय कार्यकलाप करने के लिए जहां तक सम्भव हो नये स्थान या क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, के लिए हकदार होगा जो नगरपालिका द्वारा नगर विक्रय समिति के परामर्श से अवधारित किया जा सकता है।

गली विक्रेताओं का कर्तव्य।

15. (1) जहां कोई गली विक्रेता समय-भाग आधारों पर स्थान का अधियोग करता है तो वह उसको अनुज्ञात समय भाग अवधि की समाप्ति पर प्रतिदिन अपने माल तथा सौदे को हटाएगा।

(2) प्रत्येक गली विक्रेता,—

(i) प्रत्येक गली विक्रेता विक्रय जोन तथा साथ लगे हुए क्षेत्रों में सफाई तथा लोक स्वास्थ्य को बनाये रखेगा ;

(ii) प्रत्येक गली विक्रेता विक्रय जोन में नागरिक सुखसुविधाएं तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को अच्छी हालत में रखेगा तथा उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा या नष्ट नहीं करेगा या कोई हानि या विनाश नहीं करवायेगा।

(iii) प्रत्येक गली विक्रेता विक्रय जोन में मुहैया नागरिक सुखसुविधाओं तथा सुविधाओं के लिए ऐसे नियतकालिक रखरखाव प्रभारों का भुगतान करेगा जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किये जाये।

गली विक्रेताओं का पुनः अवस्थापन या बदखाली तथा माल की जक्की।

16. (1) नगरपालिका नगर विक्रय समिति की सिफारिश पर, किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जोन या उसके किसी भाग को अविक्रय जोन के रूप में घोषित कर सकती है तथा जहां तक सम्भव हो उस क्षेत्र में विक्रय के लिए गली विक्रेताओं का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पुनः अवस्थापन कर सकती है।

(2) नगरपालिका ऐसे गली विक्रेता को जिसका विक्रय प्रमाण-पत्र धारा 11 के अधीन रद्द किया गया है या जिसके पास विक्रय प्रमाण-पत्र नहीं है तथा ऐसे प्रमाण-पत्र के बिना विक्रय करता है, ऐसी रीति में जो विहित की जाये बेदखल कर राकती है।

(3) कोई भी गली विक्रेता विक्रय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान से नगरपालिका द्वारा तब तक पुनः अवस्थापित या बेदखल नहीं किया जायेगा जब तक उसे ऐसी रीति जो विहित की जाये, में उसके लिए सात दिन का नोटिस न दे दिया गया हो।

(4) गली विक्रेता को केवल नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, विक्रय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को खाली करने में उसके असफल होने के बाद ही ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भौतिक रूप से नगरपालिका द्वारा पुनः अवस्थापित या बेदखल किया जायेगा।

(5) प्रत्येक गली विक्रेता जो नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद विक्रय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को पुनः अवस्थापन या खाली करने में असफल रहता है तो वह ऐसी चूक के प्रत्येक दिन के लिये शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा जो दो सौ पच्चास रुपये तक हो सकती है, किन्तु जब्त माल के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रत्येक गली विक्रेता नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये जिला मैजिस्ट्रेट या उप मण्डल मैजिस्ट्रेट के नोटिस पर किसी आपात्स्थिति की दशा में, तुरन्त परिसर खाली करेगा।

17. (1) यदि गली विक्रेता धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन दिये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद विक्रय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान खाली करने में असफल रहता है, तो नगरपालिका धारा 16 के अधीन गली विक्रेता को बेदखल करने के अतिरिक्त, यदि वह आवश्यक समझें ऐसे गली विक्रेता का माल ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जब्त कर सकती है : माल की जब्ती तथा पुनः मांगना।

परन्तु जहां कोई ऐसी जब्ती की जाती है तो जब्त माल की सूची तैयार की जायेगी जो विहित की जाए तथा माल जब्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उसकी प्रति गली विक्रेता को जारी की जायेगी।

(2) गली विक्रेता जिसका माल उपधारा (1) के अधीन जब्त किया गया है, ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस जो विहित की जाए, के भुगतान करने के बाद अपने माल को पुनः मांग सकता है :

परन्तु नष्ट न होने वाले माल की दशा में नगरपालिका गली विक्रेता द्वारा किये जा रहे दावे के दो कार्य दिवसों के भीतर माल मुक्त करेगी तथा नष्ट होने वाले माल की दशा में नगरपालिका गली विक्रेता द्वारा किये जा रहे दावे के उसी दिन को ही माल मुक्त किया जायेगा।

गली विक्रय के लिए योजना

18. (1) प्रत्येक नगरपालिका प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार नगर विक्रय समिति के परामर्श से प्रथम अनुसूची में दिये गये मामलों को शामिल करते हुए गली विक्रेताओं के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करेगी।

(2) नगरपालिका द्वारा तैयार की गई गली विक्रय योजनाएं अनुमोदन के लिए नगर विक्रय समिति को प्रस्तुत की जाएंगी।

नगर विक्रय समिति की बैठक।

19. नगर विक्रय समिति एक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

विशेष प्रयोजनों के लिए नगर विक्रय समिति के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संयोजन।

20. नगर विक्रय समिति इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने में किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह यदि वह चाहे तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति जो विहित की जाए स्वयं के साथ सम्बद्ध कर सकती है।

नगर विक्रय समिति के लिए कार्यालय स्थान तथा अन्य कर्मचारी।

21. नगरपालिका नगर विक्रय समिति को उपयुक्त कार्यालय स्थान तथा ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करवायेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये अपेक्षित हों।

गली विक्रेताओं का चार्टर तथा डाटा-बेस का प्रकाशन।

22. (1) प्रत्येक नगर विक्रय समिति गली विक्रेताओं का चार्टर उस समय जिसके भीतर विक्रय प्रमाण-पत्र गली विक्रेता को जारी किया जायेगा तथा समय जिसके भीतर ऐसा विक्रय प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जायेगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अन्य कार्यकलाप किए जाएंगे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रकाशित करवाएगी।

(2) प्रत्येक नगर विक्रय समिति पंजीकृत गली विक्रेताओं तथा गली विक्रेताओं जिनको विक्रय प्रमाण-पत्र ऐसे गली विक्रेता का नाम, उसको आवंटित स्टाल, उस द्वारा किये जाने वाले कारबार का स्वरूप, गली विक्रय का प्रदर्शन तथा ऐसे अन्य ब्यौरे जो गली विक्रेताओं से सम्बन्धित हो सकते हैं, देते हुए जारी किया गया है का अद्यतन अभिलेख रखेगी।

पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की रोकथाम।

23. तत्समय लागू किसी राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई गली विक्रेता जो अपने विक्रय प्रमाण-पत्र के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार गली विक्रय के कार्यकलापों को करता है, किसी व्यक्ति या पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जायेगा।

उल्लंघन के लिए शास्ति।

24. कोई गली विक्रेता जो—

(क) विक्रय प्रमाण-पत्र के बिना विक्रय कार्यकलाप में आशक्त होता है,

(ख) विक्रय प्रमाण-पत्र के निबन्धनों का उल्लंघन करता है;

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन गली विक्रय नियन्त्रण करने के प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबन्धनों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिये शास्ति जो दो हजार रुपये तक हो सकती है या जो नगरपालिका द्वारा निर्धारित की जाए, के लिए दायी होगा।

25. (1) इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात, गली विक्रेता को आबंटित विक्रय जोन में कार्यकलाप करने या किसी स्थान के सम्बन्ध में जिस पर वह ऐसे विक्रय कार्यकलाप करता है, करने के लिए उसको कोई अस्थाई, स्थाई या शाश्वत अधिकार देने के अर्थ के रूप में नहीं लगाया जायेगा।

इस अधिनियम के उपबन्धों का अर्थ स्वामित्व, अधिकार इत्यादि प्रदान करने के रूप में न होना।

(2) उपधारा (1) में दी गई कोई भी बात किसी स्थाई विक्रेता को लागू नहीं होगी, यदि अस्थाई पट्टा या स्वामित्व अधिकार विशिष्ट अवस्थिति जहां वह ऐसे विक्रय कार्यकलाप करता है, पर किसी स्थान के सम्बन्ध में पट्टा विलेख द्वारा या अन्यथा उसको प्रदान किया गया है।

26. प्रत्येक नगर विक्रय समिति समय-समय पर सरकार तथा नगरपालिका को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी जो विहित की जायें।

27. सरकार, नगर विक्रय समिति, नगरपालिका तथा गली विक्रेता संस्थाओं या संघों के परामर्श से गली विक्रेताओं के लिये उधार, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण स्कीमें उपलब्ध करने के उपायों को प्रोत्साहन दे सकती है।

28. सरकार वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक,—

अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा जागरूकता।

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अधिकारों का प्रयोग करने के लिये गली विक्रेताओं को समर्थ बनाने हेतु क्षमता निर्माण प्रोग्राम आयोजित कर सकती है;

(ख) अग्रिम ज्ञान के लिए अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रोग्राम करना तथा विशेषतौर पर जनता तथा गली विक्रेताओं में अर्थव्यवस्था में, सामान्य सैक्टरों की भूमिका को समझना तथा नगर विक्रय समिति के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा करना।

29. सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य

(i) नगरपालिका में स्कीमों के निष्पादन को मानीटर करना ;

(ii) नगर विक्रय समिति द्वारा राजस्व सृजन तथा खर्चों के अभिलेख को मानीटर करना;

(iii) कोई समस्या जो नगर विक्रय समिति के भीतर उत्पन्न होती है, को सुलझाना,

(iv) नगर विक्रय समिति के साथ प्रत्येक छह मास के भीतर संयुक्त बैठक बुलाना।

प्रत्यायोजन की शक्ति।।

30. सरकार, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कृत्यों को जो यह आवश्यक समझे नगरपालिका या नगर विक्रय समिति या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शर्तें, यदि कोई हो, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये के अध्याधीन प्रत्यायोजित कर सकती है।

अनुसूची संशोधित करने को शक्ति।

31. नगर विक्रय समिति द्वारा की गई रिफारिशों पर, यदि सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

32. (1) सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति होगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिये उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्:-

- (क) नगर विक्रय समिति के अन्य सदस्यों की संख्या ;
- (ख) मण्डल आयुक्त के पास अपील दायर करने का प्ररूप, अवधि तथा रीति ,
- (ग) नगर विक्रय समिति गठित करने की अवधि तथा रीति ;
- (घ) रीति तथा प्रयोजन जिसके लिए व्यक्ति सम्बद्ध हो सकता है ;
- (ङ) प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी ,
- (च) स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति ;
- (छ) विक्रय जोन में नागरिक सुख-सुविधाओं तथा सुविधाओं के लिए प्रभारों का रख-रखाव ;
- (ज) शास्ति का निर्धारण ,
- (झ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जाए।

उपविधियां बनाने की शक्ति।

33. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या स्कीम के उपबन्धों के अध्याधीन नगरपालिका निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु उपविधियां बना सकती है, अर्थात् :-

- (क) विक्रय जोनों में विक्रय का विनियमन तथा रीति ;
- (ख) विक्रय जोनों में करों तथा फीस के संग्रहण का विनियमन ;
- (ग) विक्रय जोनों में यातायात का विनियमन ;
- (घ) विक्रय जोनों में जनता को मुहैया उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता का विनियमन तथा जन-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानकों का अनुरक्षण;



(ड) विक्रय जोंनों में नागरिक सेवाओं का विनियमन ; तथा

(च) विक्रय जोंनों में ऐसे अन्य मामलों का विनियमन जो आवश्यक हों ;

34. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी नगर विक्रय समिति गली विक्रेताओं के के साथ सम्यक् परामर्श के बाद इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से छह मास के भीतर, लिए स्कीम।  
द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित सभी या किन्हीं मामलों को विनिर्दिष्ट करते हुए स्कीम बनाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्कीम का सारांश ऐसी रीति जो विहित की जाए, में कम से कम दो स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्रों में नगरपालिका द्वारा प्रकाशित करवाया जाएगा।

35. सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बनाये जाने तक उपबन्धों के उचित निर्देश जारी करने लागूकरण के लिए इस अधिनियम की धारा 32 के अनुरूप ऐसे निर्देश जारी करने के लिए की शक्ति।  
सक्षम होगी।

36. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न कठिनाइयां दूर करने होती है, तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत की शक्ति।  
ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद कोई भी आदेश इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा।

37. (1) हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेताओं की (जीयिका का संरक्षण तथा गली निरसन तथा में विक्रय का नियंत्रण) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, व्यावृत्ति।  
निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

## प्रथम अनुसूची

(देखिए धारा 18)

## गली विक्रय के लिए योजना

- (1) गली विक्रय के लिए योजना,—
- (क) सुनिश्चित करेगी कि सर्वेक्षण में पहचान किए गए सभी विद्यमान गली विक्रेताओं को गली विक्रय के लिए योजना में स्थान दिए गए हैं ;
- (ख) स्वेच्छा से धूमने तथा बिना किसी रूकावट के सड़कों का उपयोग करने के लिए यात्रियों के अधिकार को सुनिश्चित करेगी ,
- (ग) सुनिश्चित करेगी कि गली विक्रय के लिए स्थान या क्षेत्र का उपबन्ध विद्यमान नैसर्गिक बाजारों सहित पर्याप्त तथा अनुकूल हैं ;
- (घ) विक्रय जोनज के रूप में पहचान किए स्थानों या क्षेत्रों के समुचित उपयोग के लिए नागरिक सुविधाओं को हिसाब में लाएगी ,
- (ङ) वस्तुओं तथा सेवाओं के उपबन्ध के सुविधाजनक, दक्ष तथा लागत प्रभावी वितरण को उन्नत करेगी ,
- (च) गली विक्रय के लिए योजना को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे अन्य मामले जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) गली विक्रय के लिए योजना में निम्नलिखित सभी मामले अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-
- (क) गली विक्रय के लिए स्थानिक योजना मानकों का निर्धारण करना ;
- (ख) विक्रय जोनज के लिए स्थान या क्षेत्र को निश्चित करना ;
- (ग) प्रतिबन्ध—मुक्त-विक्रय जोनों, प्रतिबन्धित विक्रय जोनों तथा अविक्रय जोनज के रूप में विक्रय जोनज का निर्धारण करना ,
- (घ) उस शहर या नगर में गली विक्रेताओं की चालू संख्या के लिए तथा ऐसे मानकों जो आवश्यक हो, को अपनाने हुए भविष्य वृद्धि के लिए भी स्थान योजना को सहायक तथा पर्याप्त करना ;
- (ङ) पदनामित विक्रय जोनज में गली विक्रेताओं के लिए दिए गए स्थान, विद्यमान मास्टर योजना, विकास योजना, आंचलिक योजना, विन्यास योजना तथा अन्य योजना में आनुषंगिक परिवर्तनों की आवश्यकता है।
- (3) अविक्रय जोन की घोषणा, निम्नलिखित सिद्धांतों के अधीन रहते हुए गली विक्रय के लिए योजना द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, अर्थात् :-
- (क) सर्वेक्षण के अधीन पहचान किया गया कोई विद्यमान बाजार, या नैसर्गिक बाजार अविक्रय जोन के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा ;

- (ख) अविक्रय जोन की घोषणा ऐसी रीति में की जाएगी जो गली विक्रेताओं की कम से कम प्रतिशतता प्रकट करती हो ;
- (ग) नगर विक्रय समिति द्वारा भीड़-भाड़ क्षेत्र के रूप में समझा गया क्षेत्र अविक्रय जोन के रूप में घोषित किया जाएगा तथा उस क्षेत्र के विक्रेता जहां तक सम्भव हो अन्य स्थानों पर पुनः अवस्थित किए जाएंगे ;
- (घ) स्वास्थ्य सम्बद्धता किसी क्षेत्र को अविक्रय जोन के रूप में घोषित करने के लिए तब तक कोई आधार नहीं होंगे जब तक कि ऐसी सम्बद्धता मूल रूप में गली विक्रेताओं के लिए उत्तरदायी न हो तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समुचित नागरिक कार्यवाही के माध्यम से सुलझायी नहीं जा सके।

## द्वितीय अनुसूची

(देखिए धारा 34)

नगरपालिका द्वारा बनाई गई गली विक्रेताओं के लिए स्कीम में उपबन्धित किये जाने वाले मामले :-

- (क) सर्वेक्षण करने की रीति,
- (ख) सर्वेक्षण के अधीन पहचान किये गये गली विक्रेताओं को अवधि जिसके भीतर विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ;
- (ग) वे व्यक्ति जो दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान गली विक्रय करना चाहते हैं सहित निबन्धनों तथा शर्तों जिनके अधीन विक्रय प्रमाण-पत्र गली विक्रेता को जारी किया जाएगा ;
- (घ) प्ररूप तथा रीति जिसमें गली विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा;
- (ङ) गली विक्रेता को पहचान पत्र जारी करने का प्ररूप तथा रीति ;
- (च) गली विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मानदण्ड ;
- (छ) गली विक्रय के प्रवर्गों के आधारों पर भुगतान की जाने वाली विक्रय फीस जो विभिन्न शहरों के लिए विभिन्न हो सकती है ;
- (ज) पंजीकरण के लिए तथा चलत स्टालों तथा नागरिक सेवाओं के उपयोग के लिए पार्किंग स्थान, उपयोग के लिए संग्रह की रीति, बैंकों के माध्यम से नगरपालिका के गणकों तथा नगर विक्रेता समिति के गणकों, विक्रय फीस रखरखाव प्रभार तथा शारितयां ;
- (झ) विक्रय प्रमाण-पत्र के विधिमान्यता की अवधि ;
- (ञ) अवधि जिसके लिए तथा रीति जिसमें विक्रय प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जा सकेगा तथा ऐसे नवीकरण के लिए फीस ,
- (ट) रीति जिसमें विक्रय प्रमाण-पत्र निलम्बित या रद्द किया जाएगा ;
- (ठ) स्थायी विक्रेता तथा चलते-फिरते विक्रेताओं से भिन्न गली विक्रेताओं के अन्य प्रवर्ग ;
- (ड) विक्रय प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अधिमान के लिए व्यक्तियों के अ-य प्रवर्ग ,
- (ढ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए गली विक्रेता पुनः अवस्थित किया जाएगा तथा पुनः अवस्थित गली विक्रेता की रीति ;
- (ण) गली विक्रेता को बेदखल करने की रीति ;

- (त) गली विक्रेता की बेदखली के लिए नोटिस देने की रीति ;
- (थ) बेदखली के लिए असाफल होने पर भौतिक रूप से गली विक्रेता को बेदखली करने की रीति ;
- (द) जब्त माल की सूची तैयार करने तथा जारी करने सहित, नगरपालिका द्वारा जब्त माल की रीति ;
- (ध) गली विक्रेता द्वारा जब्त माल की पुनः मांग की रीति तथा उसके लिए फीस ;
- (न) नगर विक्रय समिति के कार्यकलापों का सामाजिक लेखा-परीक्षा को कार्यान्वित करने का प्ररूप तथा रीति ;
- (प) शर्तें जिनके अधीन निजी स्थान प्रतिबन्ध मुक्त-विक्रय जोनज, प्रतिबन्ध-विक्रय जोनज तथा अविक्रय जोनज के रूप में पदाभिहित किये जा सकते हैं ,
- (फ) जन-स्वस्थ तथा स्वस्थ रखने के लिए अनुपालित किये जाने वाले मानकों सहित गली विक्रय के लिए निबन्धन तथा शर्तें ;
- (ब) राज्य स्तर पर गली विक्रेता से सम्बन्धित सभी मामलों के समन्वय के लिए राज्य नोडल अधिकारी का पदनाम ;
- (भ) गली विक्रेताओं के सम्बन्ध में नगर विक्रय समिति, नगरपालिका तथा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों के उचित रख-रखाव की रीति ;
- (म) समय-भाग आधारों पर विक्रय कार्यकलापों को कार्यान्वित करने की रीति ;
- (य) प्रतिबन्ध मुक्त-विक्रय जोनज, प्रतिबन्धित-विक्रय जोनज तथा अविक्रय जोनज के रूप में विक्रय जोनज के निर्धारण के लिए सिद्धांत ;
- (यक) विक्रय जोनज की हैसियत रखने वालों के निर्धारण के लिए सिद्धांत तथा व्यापक जनगणना तथा सर्वेक्षण का जिम्मा लेने की रीति ;
- (यख) निम्नलिखित के अधीन रहते हुए पुनः अवस्थापन के सिद्धांत :-
- (i) जहां तक हो सके पुनः अवस्थापन का परिहार होना चाहिए, अन्यथा वहां प्रश्नगत भूमि के लिए स्पष्ट तथा तुरन्त आवश्यकता है ;
- (ii) प्रभावित विक्रेता या उनके प्रतिनिधि पुनर्वास परियोजना की योजना तथा कार्यन्वयन में सम्मिलित होंगे ;
- (iii) नई अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित जीविका अर्जन अवसर विस्थापित विक्रेताओं को स्थान देंगे ताकि वे नई अवसंरचना द्वारा सृजित किये जीविका अर्जन अवसरों का उपयोग कर सकें ;

- 
- (iv) परिसम्पत्तियों की हानि से बचा जाएगा तथा किसी हानि की दशा में, इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी ;
- (v) भूमि में किसी हक या अन्य हित का अन्तरण ऐसी भूमि पर गली विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा तथा ऐसे अन्तरण के फलस्वरूप कोई पुनः अवस्थापन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा;
- (vi) राज्य कार्य-प्रणाली बलकृत बेदखली की प्रथा को रोकने तथा नियन्त्रित करने हेतु व्यापक कदम उठायेगी ;
- (vii) नैसर्गिक बाजार जहां गली विक्रेता पचास वर्ष से अधिक के लिए कारबार किया हो पैतृक बाजारों के रूप में घोषित किया जाएगा तथा गली विक्रेता ऐसे बाजारों में पुनः अवस्थापित नहीं किए जाएंगे।
- (यग) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्य मामला, जो स्कीम में शामिल किया जाए।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में शहरी गली विक्रेताओं के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 9.9.2013 द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिये गये कि संसद या राज्यों द्वारा अधिनियम के अधिनियमित होने तक गली विक्रेताओं के लिये राष्ट्रीय नीति 2009 को लागू किया जाये।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य में गली बिक्री को व्यवस्थित करने हेतु तथा गली विक्रेताओं के हितों के संरक्षण के लिये एक नया अधिनियम बनाया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये महामहिम राज्यपाल द्वारा हरियाणा नगर पालिका गली विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा गली बिक्री का विनियमन) अध्यादेश, 2013 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) को 8 जनवरी, 2014 को प्रख्यापित किया गया।

नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं की सीमा में गली बिक्री को विनियमन करने, नगर बिक्री कमेटी का गठन, गली विक्रेताओं को पंजीकृत करना, पहचान पत्र जारी करने, सड़कों के किनारे तथा पालिका की खाली पड़ी भूमि पर एक सुनियोजित एवं विनियमित तरीके से गली बिक्री हेतु जगह उपलब्ध करवाने, विक्रेताओं को पुलिस तथा पालिका कर्मचारियों से होने वाले अनावश्यक उत्पीड़न से संरक्षण के लिये तथा गली बिक्री का विनियम करके यातायात के खतरों को कम करने हेतु हरियाणा नगर पालिका गली विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा गली बिक्री का विनियमन) विधेयक, 2014 जो की अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा, को अधिनियमित करने की प्रस्तावना की गई है।

सावित्री जिन्दल,  
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

घण्टीगढ़ :  
दिनांक 27 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,  
सचिव।

### प्रत्यायोजित विधेयक के सम्बन्ध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकरण द्वारा नगर निगम में अग्र्युक्त अथवा नगरपरिषद् एवं पालिकाओं में उपाग्र्युक्त, की अध्यक्षता में नगर बिक्री समिति गठित की जायेगी, इसमें चालीस प्रतिशत सदस्य गली विक्रेता होंगे। यह समिति गली विक्रेताओं का सर्वे करेगी तथा ऐसे बिक्री क्षेत्रों को चिन्हित करेगी, जो बिक्री गतिविधियों के लिए उपग्र्युक्त होंगे। प्रत्येक नगर पालिका गली विक्रेताओं के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, नगर बिक्री समिति के परामर्श से एक योजना तैयार करेगी। प्रस्तावित विधेयक की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्येक गली विक्रेता जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का है तथा सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया है, को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक की धारा 13 के अन्तर्गत प्रत्येक गली विक्रेता को प्रमाणपत्र के नियम एवं शर्तों के अनुसार गली विक्रेता गतिविधियों को चलाने का अधिकार होगा जो उनको अधिकारियों के उत्पीड़न से बचाएगा। प्रस्तावित विधेयक की धारा 30 के अन्तर्गत सरकार इस विधेयक की अपनी शक्तियाँ तथा कार्य, नगर पालिका या नगर बिक्री समिति या किसी अधिकारी को शर्तों के साथ प्रत्यायोजित कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 31 के अन्तर्गत सरकार नगर बिक्री समिति की सिफारिशों पर अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 33 के अन्तर्गत इस विधेयक के अधीन बनाये गये प्रावधान या नियम या योजना को कार्यान्वित करने के लिए उप-विधियाँ बना सकती हैं। यह प्रत्यायोजित विधेयक ज्ञापन हरियाणा विधान मण्डल में प्रक्रिया नियम तथा कार्यसंचालन के नियम 126 के प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक है।